



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 17.06.2025

बागपत पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों

का नाम व पता:-

1. शाहरुख पुत्र अलीजान निवासी ग्राम अंगदपुर जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2. सतीश पुत्र वीरा निवासी ग्राम रन्छाड थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3. देवेन्द्र पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4. राजेन्द्र पुत्र जयचन्द निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

5. फुरकान पुत्र ताहिर निवासी ग्राम तितरोदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-थाना बिनौली पुलिस टीम । (04 वारंटी)

2-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम । (01 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-17.06.2025

थाना दोघट पुलिस व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान थाने के मु0अ0सं0 125/2025 धारा 309(4)/61/317(2) बीएनएस में वांछित 25-25 हजार रुपये के इनामी 02 अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 06 खोखा व 06 जिन्दा कारतूस व लूटे हुए कुल 205060 रुपये नगद व एक मोटरसाईकिल स्प्लेन्डर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.05.2025 को थाना दोघट पर वादी श्री श्रीओम पुत्र बीरबल शर्मा निवासी ग्राम खेडी चित्तम थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 17.05.2025 को दो अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के बैग के अन्दर रखे चार लाख रुपये तथा पर्स मे रखे करीब दस हजार रुपये व आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस व बैग के अन्दर ही पडा मोबाइल फोन वीवो कम्पनी व मोटरसाइकिल की चाबी छीनकर ले गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के



आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 125/2025 धारा 304 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा साक्ष्य संकलन व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त धारा 309(4) बीएनएस में तरमीम कर धारा 61/317(2) बीएनएस की बृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस व सर्विलांस सैल की संयुक्त टीम द्वारा कान्हड मार्ग पर चैकिंग की जा रही थी उसी दौरान बाइक सवार 02 अभियुक्तों को रुकने का इसारा किया गया अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया जवाबी कार्यवाही में आवश्यक बल प्रयोग कर बाद पुलिस मुठभेड 25000 रुपये के इनामी अभियुक्त मोनू पुत्र महीपाल निवासी ग्राम बसौली थाना रमाला जनपद बागपत को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर व लूटे हुए 90060/- रुपये नगद तथा विकास कुमार ग्राम तीतरवाडा थाना कैराना जनपद शामली से लूटी हुई एक मोटर साइकिल स्प्लैन्डर नं0 UP 19 E 9807 बरामद हुई है।

एक बदमाश रविन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया था। फरार अभियुक्त रविन्द्र की तलासी हेतु पुलिस पार्टी द्वारा निरन्तर सर्च अभियान/कॉम्बिंग की जा रही थी, चैकिंग अभियान/कॉम्बिंग के दौरान जंगल ग्राम फौलादनगर की वनी में अभियुक्त रविन्द्र उपरोक्त के द्वारा पुलिस पार्टी को देखते ही फायर किया गया पुलिस पार्टी द्वारा अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर बाद पुलिस मुठभेड 25000 रुपये के इनामी अभियुक्त रविन्द्र को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त रविन्द्र के कब्जे से लूटे हुए एक लाख 15 हजार रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 04 खोखा व 04 जिन्दा .315 बोर तथा वादी के पैन कार्ड की फोटो स्टेट व आधार कार्ड बरामद हुए हैं। फायरिंग में पुलिस पार्टी के उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह के द्वारा पहने हुई बुलेट प्रूफ में गोली लगी है।

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त थाना दोघट के मु0अ0सं0 125/2025 धारा 309(4)/61/317(2) बीएनएस में वांछित चल रहे थे। उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. मोनू पुत्र महीपाल निवासी ग्राम बसौली थाना रमाला जनपद बागपत उम्र 27 वर्ष (घायल)

2. रविन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी बूढपुर थाना रमाला जनपद बागपत घायल (घायल)

गिरफ्तारी का स्थान- अभियुक्त को दिनांक 17.06.2025 समय करीब 03.08 बजे थाना दोघट क्षेत्रान्तर्गत दाहा कान्हड मार्ग के मध्य रजवाहे की पुलिया के पास बडौत-बुढाना मार्ग से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त रविन्द्र की गिरफ्तारी घटनास्थल जंगल ग्राम फौलादनगर समय सुबह करीब 10.35 बजे थाना दोघट क्षेत्र।

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे .315 बोर मय 06 जिन्दा व 06 खोखा कारतूस .315 बोर,
- एक अदद मोटरसाईकिल स्प्लेन्डर न0 UP 19 E 9807 (थाना कैराना जनपद शामिल क्षेत्र से लूटी हुई)
- लूटे हुए कुल 205060 रुपये नगद।

गिरफ्तार अभियुक्त मोनू पुत्र महीपाल का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 328/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामिल।
2. मु0अ0सं0 125/25 धारा 309(4)/61/317(2) बीएनएस थाना दोघट जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 156/2025 धारा 318(4), 345(3), 317(2) 109 बीएनएस (पु0मु0) व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना दोघट बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त रविन्द्र पुत्र मोहर का आपराधिक इतिहास

थाना	मु0अ0सं0	धारा
दोघट	282/16	201,34,394,411 भादवि थाना दोघट
दोघट	302/16	3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट
शामली	36/19	379/411 भादवि थाना झिझांना शामिल

शामली	121/19	379/411 भादवि थाना झिझांना शामली
शामली	124/19	3/25 आयुध अधि० भादवि थाना झिझांना शामली
शामली	126/19	414 भादवि थाना झिझांना शामली
शामली	239/19	2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना झिझांना शामली
दोघट	125/25	309(4),61,317(2) बीएनएस थाना दोघट
दोघट	156/25	318(4),345(3),317(2) 109 बीएनएस (पु०मु०) व 3/25/27 आम्स एक्ट
दोघट	157/25	109 बीएनएस (पु०मु०) व 3/25/27 आम्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री बच्चू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा सर्विलांस सैल बागपत ।
- 3-नि०अपराध श्री सुखपाल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-व०उ०नि० श्री कृपेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-उ०नि० श्री राकेश शर्मा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6-उ०नि० श्री विपिन कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 7-उ०नि० श्री विरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 8-है०का० 280 कपील थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 9- है०का० 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 10- है०का० 334 मुनीदेव थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 11-है०का० 589 मैनपाल थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 12- है०का० 144 विनय कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 13- है०का० 407 सन्दीप थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 14- है०का० 390 गवेन्द्र सर्विलांस सैल बागपत ।
- 15- है०का० 120 प्रदीप कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।
- 16- है०का० 153 वीरेन्द्र कसाना सर्विलांस सैल बागपत ।
- 17- है०का० 467 कुलदीप सिंह सर्विलांस सैल बागपत ।
- 18- का० 73 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 19- का० 08 अनुज कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।
- 20- का० 631 रक्षित कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 17.06.2025

**थाना कोतवाली बडौत में दाखिल कुल 40 वाहन जिनमें 28 बाहन एमवी
एक्ट व 07 बाहन मुकदमाती व 05 बाहन लावारिस की नीलामी के
सम्बन्ध में**

कार्यवाही

दिनांक 17.06.2025 को मा0 न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना बडौत पर दाखिल कुल 40 वाहन जिनमें 28 बाहन एमवी एक्ट व 07 बाहन मुकदमाती व 05 बाहन लावारिस वाहनो की नीलामी श्रीमान नायब तहसीलदार बडौत, श्रीमान



क्षेत्राधिकारी महोदय बडौत व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बडौत की उपस्थिति में की गई। उक्त नीलामी में जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के कुल 36 कबाडियो ने हिस्सा लिया। जिसमें कुल 37 दो पहिया वाहन तथा 02 चार पहिया व 01 ई रिक्शा वाहनो की नीलामी की गई।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17.06.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 340/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



अनुरोध- बागपत पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारो का प्रदर्शन ना किया जाये, यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोईन पुत्र शौकीन निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमन्चा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत।

2. का0 885 हरिओम सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

3. क0 846 नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

